न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

ा0 न0 102 / 22	तारीख़ दायरा 20.07.2022	तारीख फैसला 30.09.2022

पीठासीन अधिकारी -- हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

रामप्यारी बाई उर्फ बूचीबाई पुत्री रामनाथ पत्नी कृष्ण गोपाल जाति मीणा निवासी वार्ड न0 7 कल्याण पटेल का मोहल्ला बूढादीत तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री भारत शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम नापाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातें में खाता संख्या 96 खसरा न0 144 रकबा 0.12 है0 222 रकबा 0.17 है0, 225 रकबा 0.10 है0, 230 रकबा 0.12 है0, 240 रकबा 0.12 है0 , 244 रकबा 0.34 है0, 278 रकबा 2.17 है0 , 281 रकबा 0.51 है0, 309 रकबा 0.28 है0, 318 रकबा 0.86 है0, 327 रकबा 1.27 है0, 328 रकबा 0.74 है0, 426 रकबा 1.47 है0 कुल किता 13 रकबा 8.87 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादनी का नाम बूचीबाई दर्ज है। यह कि वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम बूचीबाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादनी का वास्तविक नाम रामप्यारी बाई है तथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, अंकतालिका आदि दस्तावेजात में भी वादनी का नाम रामप्यारी बाई है जिसमें वादनी को सरकारी योजनाओं में किसान केडिड कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि वादनी के ग्राम रामपुरिया उर्फ नयागांव तहसील दीगोद में स्थित खाता संख्या 135 खसरा खसरा नम्बर 110 रकबा 2.49 है0, 127 रकबा 0.54 है0, 55 रकबा 0.97 है0, 61 रकबा 1.22 है0 कुल किता 4 रकबा 5.2 है0 भूमि में वादनी का नाम रामप्यारी दर्ज है। किन्तु नापाहेडा में स्थित आराजी में वादनी का नाम बूचीबाई दर्ज कर किया गया है जिसके कारण दिनांक 25.06.2022 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त नही करने पर पैदा हुआ है। इस कारण रिकॉर्ड दुरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.12.22 12:14:10 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम नापाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातें में खाता संख्या 96 खसरा न0 144 रकबा 0.12 है0 222 रकबा 0.17 है0, 225 रकबा 0.10 है0, 230 रकबा 0.12 है0, 240 रकबा 0.12 है0 , 244 रकबा 0.34 है0, 278 रकबा 2.17 है0 , 281 रकबा 0.51 है0, 309 रकबा 0.28 है0, 318 रकबा 0.86 है0, 327 रकबा 1.27 है0, 328 रकबा 0.74 है0, 426 रकबा 1.47 है0 कुल किता 13 रकबा 8.87 है0 भूमि में वादनी का नाम बूचीबाई के स्थान पर रामप्यारी बाई दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादनी का नाम बूचीबाई के स्थान पर रामप्यारी किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर नापाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातें मे खाता संख्या 96 खसरा न0 144 रकबा 0.12 है0 222 रकबा 0.17 है0, 225 रकबा 0.10 है0, 230 रकबा 0.12 है0, 240 रकबा 0.12 है0 , 244 रकबा 0.34 है0, 278 रकबा 2.17 है0 , 281 रकबा 0.51 है0, 309 रकबा 0.28 है0, 318 रकबा 0.86 है0, 327 रकबा 1.27 है0, 328 रकबा 0.74 है0, 426 रकबा 1.47 है0 कुल किता 13 रकबा 8.87 है0 भूमि में वादनी का नाम बूचीबाई के स्थान पर रामप्यारी किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.12.22 12:14:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दीगोद